Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 215–2022/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2022
(मार्गशीर्ष 18, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग-II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग-III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 83/ह०अ० 11/2021/धा० 24/2022, दिनांक 9 दिसम्बर, 2022 – हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली नियम, 2022।	887—899
भाग-IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2022

संख्या का०आ० 83/ह०अ० 11/2021/धा० 24/2022.— हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2021 (2021 का 11) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :– परिभाषाएं।

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2021;

(ख) 'धारा' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;

(ग) 'प्ररूप' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

3. (1) धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन पुलिस थानों के प्रभारी/पुलिस अधिकारी से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित घटना के घटित होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, लोक व्यवस्था के विघ्न में लिप्त व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई क्षति हेतु मुआवजे के लिए दावों हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु, प्रथम घटना के घटित होने के साठ दिन के भीतर, प्रारूप I में, नोटिस का प्रख्यापन करेगा; आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रकाशन।

परन्तु यदि पुलिस थाने के प्रभारी/पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित ऐसी घटना के घटित होने की रिपोर्ट, पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी/थाना प्रभारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर लोक व्यवस्था में विघ्न में लिप्त व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई क्षति हेतु मुआवजे के लिए दावो हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्ररूप–I में, नोटिस का प्रख्यापन करेगा;।

(2) नोटिस का प्रख्यापन राज्य में पर्याप्त प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक स्थानीय भाषा में) में होगा और नोटिस की एक प्रति आम जनता की जानकारी के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सहजदृश्य स्थान या नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी।

4. (1) क्षति के मुआवजे के लिए आवेदन, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण, जो आवेदन के सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट आवेदक को प्रदान करेगी, की रिपोर्ट सहित प्ररूप–II में दाखिल किया जाएगा। आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया।

(2) प्ररूप–I में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दिखाने पर आगे पंद्रह दिन के लिए एक बार देरी को माफ कर सकता है।

(3) धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ 500/– रुपये का शुल्क देना होगा और ऐसा शुल्क, जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बैंक में आहरित क्रॉस बैंक डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा और ऐसे स्थान, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय स्थित है पर भुगतांनयोग्य होगा।

5. प्ररूप–I में विनिर्दिष्ट समय के भीतर दावा आवेदन प्राप्त करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट, प्ररूप–I में दी गई अंतिम तिथि से बीस दिन के भीतर प्ररूप–III में रिपोर्ट अग्रेषित करेगा। राज्य सरकार को रिपोर्ट।

6. दावा अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगीः दावा अधिकरण की भाषा।

परंतु कार्यवाही के पक्षकार, यदि वे चाहते हैं, तो दावा अधिकरण के समक्ष दस्तावेज हिंदी में दाखिल कर सकते हैः

परंतु यह और कि दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपने विवेकाधिकार से कार्यवाही में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दावा अधिकरण को रिपोर्ट सौंपना।

7. जिला मजिस्ट्रेट, दावा अधिकरण के गठन के दस दिन के भीतर, नियम 5 के अधीन तैयार की गई अपनी रिपोर्ट, स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण की रिपोर्ट के साथ आवेदन और क्षति के मुआवजे के लिए दावों हेतु प्राप्त अन्य सभी दस्तावेज/संलग्नक दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

प्रतिवादियों को सम्मन जारी करना।

8. (1) दावा अधिकरण प्रतिवादियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के आदेश v के अधीन सम्मन जारी करने के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार सम्मन जारी करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–नियम (1) के अधीन सम्मन जारी करने के बाद अधिकरण के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, तो दावा अधिकरण, राज्य में पर्याप्त प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्र में सम्मन का प्रख्यापन कर सकता है और सम्मन की एक प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सहजदृश्य स्थान या नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जा सकती है। सम्मन में दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की विशिष्ट तिथि शामिल होगी जो समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन की तिथि के बाद न्यूनतम तीस दिन होगी।

प्ररुप–I

[देखिए नियम 3 का उप–नियम (1)]

क्षति के मुआवजे के लिए दावे हेतु आवेदन आंमत्रित करने के लिए नोटिस

जिला ....

इसके द्वारा, लोक व्यवस्था में विघ्न में लिप्त व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के मुआवजे के लिए दावे हेतु, दिए गए प्ररुप में इस नोटिस के जारी होने के 21 दिन के भीतर अर्थात् तिथि .... सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त वर्णित तिथि के बाद प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

तिथि :

स्थानः (जिला मजिस्ट्रेट)

प्ररुप–II

[देखिए नियम 4(1)]

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2021 की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन

जिला.......................

1. आवेदक (व्यक्ति /कंपनी /ट्रस्ट /विश्वविद्यालय/ सोसाइटी, सांविधिक बोर्ड इत्यादि) ....

2. पता ....

3. स्वामी/ कानूनी प्रतिनिधि /कार्यालय प्रमुख / अधिकृत अधिकारी ....

4. घटना की तिथि ....

5. घटना का संक्षिप्त विवरण ....

6. संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले या जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, विवरण,पहचान, यदि ज्ञात हों ....

7. संपत्ति को पंहुचाई गई क्षति/हानि/नुकसान /विकृति का विवरण नीचे दी गई विहित तालिका में दिया गया है:–

संपत्ति का विवरण	दावा की गई राहत	स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण द्वारा नुकसान का आकलन	आकलन किया गया मूल्य
चल 1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
अचल 1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
पुलिस/अर्धसैनिक बल की आवश्यकता की लागत	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
कुल			

8. घटना का प्रमाण (दस्तावेज/ऑडियो /वीडियो रिर्कोडिंग/ कोई अन्य) ....

9. किसी संस्थान/अदालत के समक्ष दायर किये गए मुआवजे के लिए दावा, यदि कोई हो, विवरण के साथ ....

10. राज्य सरकार/बीमा कंपनी /अदालत /किसी अन्य संस्थान द्वारा पहले ही दिए गए मुआवजे का विवरण

....

11. संलग्नकों की सूची

i. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति

ii. स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण की रिपोर्ट

iii.

iv.

12. बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल ऑर्डर का विवरण

....

सत्यापन

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....आयु ....
निवासी ....

....,
इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा (पैरों) ..... से ... की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सत्य है तथा पैरा (पैरों) ..... से .... को कानूनी सलाह पर सही माना जाता है और मैंने किसी भी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं है।

दिनांकः

स्थानः (आवेदक)

प्ररुप–III

(देखिए नियम 5)

जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

1. आवेदक (व्यक्ति/कंपनी/ट्रस्ट/विश्वविद्यालय/सोसाइटी/सांविधिक बोर्ड इत्यादि) ....
....

2. पता ....
.... आधार संख्या / मोबाइल संख्या /ईमेल पता ....
....

3. स्वामी/ कानूनी प्रतिनिधि/ कार्यालय प्रमुख/ अधिकृत अधिकारी

....

4. घटना की तिथि

....

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण (नीचे दी गई तालिका में मांगी गई जानकारी सहित)

प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या तथा तिथि	धारा के अधीन	पुलिस थाना	आरोपी का नाम

6. क्षतिग्रस्त/ अपकृत/ नुकसान संपत्ति का विवरणः

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, तिथि और पुलिस थाना	संपत्ति का विवरण	स्वामित्व का प्रमाण	टिप्पणी, यदि कोई हो
	चल संपत्ति	बिल आदि यदि कोई हो	
	अचल संपत्ति	राजस्व रिकॉर्ड	
	अन्य		

7. क्षति/ हानि /नुकसान/ विकृति का विवरणः

संपत्ति का विवरण	दावा की गई राहत	आका गया मूल्य	दावा किया गया मूल्य
1 चल			
2 अचल (पूर्ण विवरण सहित)			
3 पुलिस/अर्धसैनिक बल की आवश्यकता की लागत			
कुल			

8. व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने संपत्ति को क्षति/ विकृति किया/ नुकसान पहुंचाया है, यदि कोई हो

....

9. ऐसी संपत्ति /घटना के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा पहले से दिए गए मुआवजे का विवरण, यदि कोई हो।

10. कोई अन्य सुसंगत जानकारी:

11. दस्तावेज संलग्न

....

दिनांकः

स्थानः

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

टी० वी० एस० एन० प्रसाद,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 9th December, 2022

No. S.O. 83/H.A. 11/2021/S. 24/2022.— In exercise of the powers conferred by section 24 of Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Act, 2021 (11 of 2021), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Act, 2021;

(b) 'section' means section of the Act;

(c) 'Form' means the form appended to these rules.

(2) All other words and expressions used herein but not defined herein and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Publication for inviting application.

3. (1) On receipt of report alongwith copy of First Information Report from the police officer/In-charge of Police Station under sub-section 1 of section 3, the District Magistrate shall cause publication of notice inviting application(s) for claims for compensation for damages caused by persons involved in the disturbance to Public order in **Form I** within a period of sixty days of occurrence of the first incident:

Provided that if any occurrence of the incident alongwith copy of First Information Report is reported by the police officers/In-charge of Police Station to the District Magistrate after the expiry of aforesaid sixty days period, the District Magistrate shall cause publication of notice inviting applications for claims for compensation for damages caused by persons involved in the disturbance to Public order in **Form I** within a period of thirty days from the date of receiving the said report from the police officer/In-charge of Police Station.

(2) The publication of notice shall be in two leading newspapers (one in vernacular language) having sufficient circulation in the State and one copy of the notice shall also be affixed at conspicuous place or notice board of the Office of the concerned District Magistrate for the information of general public.

Procedure for filing application.

4. (1) Application for compensation of damages shall be filed before the concerned District Magistrate either in person or through legal representative in **Form-II** along with report of any Independent Valuation Agency, which shall provide its report to the applicant within seven days of the application.

(2) No application shall be entertained after the expiry of the period specified in **Form-I**, but the District Magistrate may condone the delay once for fifteen days further on showing sufficient cause by the applicant.

(3) Application under sub-section (1) of section 5 shall be accompanied by a fee of Rs. 500 and such fee may be remitted through a cross Bank Demand Draft drawn on a Bank or Indian Postal Order in favour of the District Magistrate and payable at the place where the office of District Magistrate is situated.

Report to State Government.

5. After receiving the claim applications within the time specified in Form-I, the District Magistrate shall forward the report in **Form-III,** within twenty days from the last date given in Form-I.

Language of the Claims Tribunal.

6. The language of the Claims Tribunal shall be English:

Provided that the parties to the proceedings before the Claims Tribunal may file documents in Hindi, if they so desire:

Provided further that Presiding Officer of the Claims Tribunal may in his discretion permit the use of Hindi in the proceedings.

7. The District Magistrate shall, within ten days of constitution of the Claims Tribunal, submit his report prepared under rule 5, the applications along with report of Independent Valuation Agency and all other documents/enclosures received for claims for compensation for damages to the Claims Tribunal.

District Magistrate to submit report to the Claims Tribunal.

8. (1) The Claims Tribunal shall issue summons to the respondents as per the procedure prescribed under Order V of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) for summoning.

Summoning to respondents.

(2) In case any person fails to appear before the tribunal after issuing summons to him under sub-rule (1), then the Claims Tribunal may cause the publication of summon in a leading newspapers having sufficient circulation in the State and one copy of the summon may also be affixed at conspicuous place or notice board of the Office of the concerned District Magistrate. The summon shall contain specific date for appearance before the Claims Tribunal which shall be minimum thirty days after the date of publication of summon in the news paper.

FORM No. I

(Sub-rule (1) of rule 3)

NOTICE FOR INVITING APPLICATION FOR CLAIMS FOR COMPENSATION FOR DAMAGES

District ....

Applications are hereby invited for claims for compensation of damages caused by persons involved in the disturbance to public order in given format within 21 days of the issuance of this notice i.e. upto .... till 5 P.M. in person in the office of the undersigned or through registered post. Application received after the above noted date shall not be entertained.

Date: (District Magistrate)

Place:

FORM No. II

[see rule 4(1)]

APPLICATION U/S 5(1) OF THE HARYANA RECOVERY OF DAMAGES TO PROPERTY DURING DISTURBANCE TO PUBLIC ORDER ACT, 2021

District ………………………

1. Applicant (Individual/Company/Trust/University/Society/ Statutory Board etc.)
………..

2. Address ……………………………………………………………………………………………...
……….

3. Owner/Legal Representative/Head of Office/Authorized Officer
………

4. Date of incident ……………………………………………………………………..…………………………

5. Brief Description of incident
……………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………

6. Names, Particulars, Identification, if known, of persons responsible or caused damage to property
………
…………………………..…………….………………………………………………………………………….

7. Details of Damage/Loss/injury/Deterioration caused to property in the prescribed table given below:-

Details of Property	Relief claimed	Loss assessed by the Independent Valuation Agency	Total assessed Value
Moveable 1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
Immovable 1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
Cost of requisition of Police/Paramilitary	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
Total			

8. Proof of incident (Documents/Audio/Video recordings/any other)
……………………………………………………………………………………………………...………..

9. Claim for Compensation, if any, filed before any institution/Court with details
………
………

10. Detail of compensation already awarded by State Govt./Insurance Company/Court/ Any other institution
………
………

11. List of enclosures
    i. Copy of First Information Report
    ii. Report of Independent Valuation Agency
    iii.
    iv.

12. Particulars of Bank Draft/ Indian Postal Order …………………………………………….

VERIFICATION:

I ………………………………… Son/wife/daughter of …………...……………… age …………….. R/o……………………………………………………………………………………...…………………………… ……… ………………………………do hereby verify that the contents of para(s) ………………. to ………… are true to my personal knowledge and para(s) …………… to ………… are believed to be true on legal advice and I have not suppressed any material fact.

DATE:

PLACE: **(APPLICANT)**

FORM NO. III

(rule 5)

REPORT OF THE DISTRICT MAGISTRATE

1. Applicant (Individual/Company/Trust/University/Society/Statutory Board etc.)
………
………
2. Address
………
………
……………………………………………….. Aadhar No./Mobile No./Email address……………………..
3. Owner / Legal Representative / Head of Office/ Authorized Officer
………
4. Date of incident
………
5. Brief description of incident as per First Information Report (including information as sought in below mention table)
………

Number and Date of First Information Report	Under sections	Police Station	Name of accused

6. Detail of property damaged/ deteriorated / injured :

First Information Report No., Date and Police Station	Detail of property	Proof of ownership	Any comments, if any
	Movable Property	Bill etc., if any	
	Immovable Property	Revenue record	
	others		

7. Detail of damage/ loss / injury / deterioration :

Details of Property	Relief claimed	Value Assessed	Value claimed
1. Moveable			
2. Immovable (with full description)			
3. Cost of requisition of Police/ Paramilitary			
Total			

8. Details of persons, if any, who caused damage/deterioration/injury to property………………………………
……..
9. Details of compensation, if any, already awarded by State Government regarding such property / incident.
………
10. Any other relevant information: ……………………………………………………………………………
11. Documents enclosed …………………..……………………………………………………………………….

Date : Signatures of District Magistrate

Place :

T.V.S.N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.